कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 218/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 08.06.2026

प्रेस नोट
थाना- बरदह ,जनपद आजमगढ़
दिनांक- 08.06.2026

तकनीक का प्रहार, अपराधी हुआ बेनकाब : यक्ष ऐप की मदद से 03 लाख रुपये की झपटमारी का सफल अनावरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में यक्ष ऐप, फेस रिकग्निशन एवं सीसीटीवी विश्लेषण से अन्तरजनपदीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

यक्ष ऐप ने दी जांच को दिशा, ₹2.56 लाख नगद, अवैध तमंचा, कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की त्वरित पहचान हेतु विकसित **यक्ष (YAKSH) ऐप** आधुनिक पुलिसिंग का एक प्रभावी तकनीकी माध्यम बनकर उभरा है। जनपद आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण में **थाना बरदह** पुलिस द्वारा **यक्ष ऐप, फेस रिकग्निशन तकनीक एवं सीसीटीवी विश्लेषण एवं ऑडियो रिकार्डिंग** की सहायता से **झपटमारी की एक गंभीर घटना का सफल अनावरण करते हुए अन्तरजनपदीय शातिर अभियुक्त** को गिरफ्तार किया गया तथा **झपटी गई धनराशि का अधिकांश भाग बरामद** करने में सफलता प्राप्त की गई।

पूर्व की घटना / घटना का इतिहास-

दिनांक 02.06.2026 को वादी **राजपति यादव पुत्र स्व0 रामबचन यादव निवासी ग्राम खैरपुर जगजीवन थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि वह आदित्य प्रताप सिंह की देशी शराब की दुकान ताड़तला जनपद जौनपुर पर सेल्समैन का कार्य करता है। दिनांक **01.06.2026 को शराब बिक्री की धनराशि ₹3,22,060/- लेकर** अपने स्वामी को देने हेतु आजमगढ़ जा रहा था। जैसीज चौराहे पर आजमगढ़ जाने के लिए वाहन की प्रतीक्षा के दौरान एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक उससे बातचीत करने लगा तथा स्वयं को आजमगढ़ जाने वाला बताते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। ठेकमा बाजार से आगे भगवानपुर नहर पुलिया के पास पहुंचने पर अभियुक्त ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम होने तथा बैग भारी होने की बात कहकर धनराशि से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया तथा अवसर पाकर तेजी से फरार हो गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर **मु0अ0सं0-194/2026 धारा 304 बीएनएस बनाम अज्ञात** पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

यक्ष ऐप एवं तकनीकी विश्लेषण की भूमिका

घटना के समय अभियुक्त पूर्णतः अज्ञात था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु तकनीकी संसाधनों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम द्वारा **यक्ष ऐप** की सहायता से घटनास्थल एवं संभावित मार्गों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों, ऑडियो रिकार्डिंग की पहचान कर उनके फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति यूनिकॉर्न होंडा मोटरसाइकिल पर पैंट-शर्ट, सफेद गमछा, काला हेलमेट एवं खाकी रंग के जूते पहने दिखाई दिया। संदिग्ध के फोटो विकसित कर यक्ष ऐप में उपलब्ध अपराधियों के डिजिटल डाटाबेस से मिलान कराया गया। यक्ष ऐप में उपलब्ध फोटो, आपराधिक इतिहास, पूर्व गिरफ्तारी विवरण एवं अन्य रिकॉर्ड के आधार पर संभावित संदिग्धों को चिन्हित किया गया। इसके अतिरिक्त फेस रिकग्निशन तकनीक एवं उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी विश्लेषण किया गया। तकनीकी विश्लेषण, यक्ष ऐप से प्राप्त इनपुट एवं मानवीय सूचना (Human Intelligence) के समन्वय से पुलिस टीम अभियुक्त की पहचान स्थापित करने तथा उसके ठिकाने तक पहुंचने में सफल रही।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का सफल अनावरण-

घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार तकनीकी एवं मानवीय सूचना का विश्लेषण किया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त संदिग्ध के फोटो एवं हुलिये का यक्ष ऐप में उपलब्ध आपराधिक डाटाबेस से मिलान किया गया। यक्ष ऐप के माध्यम से प्राप्त संभावित संदिग्धों की प्रोफाइल, आपराधिक इतिहास एवं अन्य तकनीकी इनपुट का गहन परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर पुलिस टीम को अभियुक्त के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए।

यक्ष ऐप से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं, फेस रिकग्निशन विश्लेषण एवं स्थानीय स्तर पर की गई सुरागरसी-पतारसी के आधार पर अभियुक्त की पहचान राजेश चौहान पुत्र छेदी चौहान निवासी ग्राम सतमिश्रा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर के रूप में स्थापित हुई। इसके उपरांत पुलिस टीम द्वारा उसके संभावित आवागमन एवं गतिविधियों पर निगरानी रखी गई।

दिनांक 08.06.2026 को मुखबिर की सूचना एवं यक्ष ऐप से प्राप्त तकनीकी इनपुट के सत्यापन के आधार पर थाना बरदह पुलिस टीम द्वारा शंकरपुर-हरिश्चन्द्रपुर पुलिया क्षेत्र में घेराबंदी की गई। इसी दौरान एक व्यक्ति बिना नम्बर की मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया, जिसने पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर भागने का प्रयास किया। घबराहट में उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई तथा वह पैदल भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश चौहान पुत्र छेदी चौहान निवासी ग्राम सतमिश्रा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र लगभग 45 वर्ष बताया।

इस प्रकार यक्ष ऐप से प्राप्त तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी साक्ष्य, फेस रिकग्निशन तकनीक एवं मानवीय सूचना के समन्वित उपयोग से घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

यक्ष (YAKSH) ऐप : उत्तर प्रदेश पुलिस की आधुनिक तकनीकी पहल-

यक्ष (YAKSH) ऐप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित एक उन्नत तकनीकी प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य अपराधियों की त्वरित पहचान, आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण एवं अपराध अनावरण को अधिक प्रभावी बनाना है। इस प्लेटफॉर्म में अपराधियों के फोटो, आपराधिक इतिहास, गिरफ्तारी विवरण, गैंग प्रोफाइल एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। यक्ष ऐप की सहायता से पुलिस अधिकारी संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो एवं अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संभावित अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध अनावरण एवं अपराधियों की ट्रैकिंग में यक्ष ऐप का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस घटना में भी यक्ष ऐप ने जांच को सही दिशा देने तथा अभियुक्त तक पहुंचने में निर्णायक भूमिका निभाई।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त के कब्जे से निम्नलिखित बरामदगी हुई—

- ₹2,56,000/- नगद (माल मशरुका)
- एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर की होंडा यूनिकॉर्न मोटरसाइकिल

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा उक्त झपटमारी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त ने बताया कि उसने वादी को विश्वास में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठाया तथा अवसर पाकर धनराशि से भरा बैग लेकर फरार हो गया था।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-194/2026 धारा 304, 317(2) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-202/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजेश चौहान पुत्र छेदी चौहान, निवासी- ग्राम सतमिश्रा, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर, उम्र- लगभग 45 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-202/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-194/2026 धारा 304, 317(2) बीएनएस थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-310/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।
4. मु0अ0सं0-315/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।
5. मु0अ0सं0-318/2021 धारा 328, 379, 420, 511 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।
6. मु0अ0सं0-429/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, थाना बरदह
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल
3. हे0का0 पवन कुमार यादव
4. हे0का0 संजय दुबे, थाना देवगांव
5. का0 पंकज यादव
6. का0 सतिभान सिंह
7. रि0का0 सोनू यादव
8. रि0आ0 मुकेश यादव
9. रि0आ0 अभिनव सिंह
10. रि0म0आ0 बीनू सिंह
11. रि0म0आ0 खुशबू यादव

निष्कर्ष-

यह सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीक आधारित पुलिसिंग एवं यक्ष ऐप की उपयोगिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकरण में यक्ष ऐप ने संदिग्ध की पहचान स्थापित करने, जांच को सही दिशा देने एवं अभियुक्त तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अल्प समय में घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं धनराशि की बरामदगी सुनिश्चित की जा सकी।

जनपद आजमगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी, तकनीक-सक्षम एवं परिणामोन्मुख पुलिसिंग हेतु सतत प्रतिबद्ध है।